

राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर
W-6, रेजिडेन्सी रोड (गौरव पथ), जोधपुर (राज.)

E-mail ID: rajitiadmission19@gmail.com

Visit us: <http://livelihoods.rajasthan.gov.in>

क्रमांक: प.सं.7(11)/प्र-1/केन्द्रीप्रवेश/2019/1949/12415

दिनांक: 17-05-2019

राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (I.T.I's) में प्रवेश हेतु सूचना
प्रवेश सत्र :: अगस्त 2019

सत्र अगस्त 2019 में राज्य की समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (I.T.I's) में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (N.C.V.T.) एवं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (S.C.V.T.) के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश तथा प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (N.C.V.T.) के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय केन्द्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार है-

राजस्थान सरकार के एकीकृत पोर्टल sso.rajasthan.gov.in/ E-Mitra कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की प्रारम्भ तिथि.	14.06.2019
ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने, आवेदन/प्रोसेस शुल्क ई-मित्र के माध्यम से जमा कराने की अंतिम तिथि	15.07.2019

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की आयु 01-08-2019 को 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
2. प्रवेश हेतु विभिन्न व्यवसायों की प्रवेश योग्यता 8 वीं, 10 वीं व 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण है।
3. अभ्यर्थी वेबसाइट लिंक <http://hte.rajasthan.gov.in> का अवलोकन कर प्रवेश के लिए उपलब्ध व्यवसाय, योजना व प्रवेश स्थानों, संस्थान द्वारा ली जाने वाली फीस इत्यादि की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
4. विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश संबंधी विस्तृत सूचनाएं एवं प्रवेश विवरणिका विभाग की वेबसाइट <http://livelihoods.rajasthan.gov.in> तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी उपलब्ध हैं।

नोट:-

5. डीजीटी भारत सरकार स्तर पर लम्बित डीएफिलिएशन प्रक्रियाधीन प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रवेश की अनुमति के संबंध में डीजीटी भारत सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिये जाएंगे उसी अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
6. केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश कॉउन्सलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात् रिक्त रहे स्थानों पर संस्थान स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जाकर प्रवेश किये जाएंगे। रिक्त स्थानों की सूचना संबंधी संस्थान से ज्ञात की जा सकेगी।

विशेष प्रोत्साहन:-

7. राज्य सरकार के आदेशानुसार राजकीय आईटीआई में महिलाओं से प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

निदेशक (एवं संयुक्त शासन सचिव)

क्रमांक: प.सं.7(11)/प्र-1/केन्द्रीप्रवेश/2019/1949/सम

दिनांक: 17-5-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राज., जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर- 302005
5. संयुक्त राज्य शिक्षुता सलाहकार एवं संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, बनीपार्क, जयपुर।
6. उप निदेशक, प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
7. आचार्य/अधीक्षक, राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को प्रेषित कर लेख है कि सूचना नोटिस बोर्ड पर आवश्यक रूप से चरपा करें।
8. उप निदेशक, परीक्षा, मुख्यालय, जोधपुर।

निदेशक, प्रशिक्षण